दिनांक 27.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 39/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा IS–191 गैंग के पूर्व सरगना मृत मुख्तार अंसारी के सहयोगी रेयाज अहमद अंसारी की संगठित अपराध से अर्जित लगभग 24 करोड़ रूपये की बेनामी अचल संपत्ति/भूमि को कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी की अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति एवं भू–माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश के क्रम में **श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** के मार्ग दर्शन में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा IS-191 गैंग के पूर्व सरगना मृत मुख्तार अंसारी के सहयोगी रेयाज़ अहमद अंसारी की लगभग 24 करोड़ रूपये की बेनामी भूमि/अचल सम्पत्ति को कुर्क/जब्तीकरण कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत द्वारा IS-191 गैंग के पूर्व सरगना मृत मुख्तार अंसारी का सहयोगी रेयाज़ अहमद अंसारी द्वारा संगठित अपराध से अर्जित बेनामी भूमि/अचल सम्पत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत लगभग 24 करोड़ है, जिसे आज दिनांक 27/09/2025 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त रेयाज अहमद अंसारी पुत्र मृत अब्दुल मन्नान निवासी कस्बा बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उपरोक्त द्वारा लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने, अपने तथा गैंग के अन्य सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित धन से अचल संपत्ति जो कि अभियुक्त रेयाज अहमद अंसारी द्वारा अपने खास सहयोगी फरारशुदा अभियुक्त परवेज जमाल की पत्नी यासमीन जमाल व उसके पिता ऐनुलहक के नाम से क्रय की गयी सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम मे कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त रेयाज अहमद अंसारी का अपराधिक इतिहास का विवरण निम्नलिखित हैं–

(1). मु0अ0स0 270/13 धारा 332/353/506 भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(2). मु0अ0स0 866/14 धारा 323/504/442/354क भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(3). मु0अ0स0 88/16 धारा 452/506 भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(4.) मु0अ0स0 322/23 धारा 386/448/506/120बी भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(5). मु0अ0स0 283/23 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(6). मु0अ0स0 06/24 धारा 347/348/506/379 भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(7). मु0अ0स0 68/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(8). मु0अ0स0 275/24 धारा 296/308(5)/351(3)/352 BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(9). मु0अ0स0 334/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(10). मु0अ0स018/25 धारा 3(1)(ध)/3(1)(द)/3(2)(V) SC/ST Act, तथा 115(2)/ 308(5)/351(3)/352 BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(11). 323/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

अभियुक्त परवेज जमाल का अपराधिक इतिहास का विवरण निम्नलिखित हैं–

(1). मु0अ0स0 283/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(2). मु0अ0स0 334/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(3). मु0अ0स0 28/2025 धारा 351(3)/61(2) BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(4). मु0अ0स0 57/2025 धारा 308(5)/351(3)/352 BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(5). मु0अ0स0 323/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

दिनांक 27.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 40/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना स्याना

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.09.2025 को थाना स्याना व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्याना बुलन्दशहर रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त उमर मोहम्मद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद बुलन्दशहर से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, छिनैती, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना स्याना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उमर मोहम्मद निवासी उस्मान कालोनी/कल्लू गढी थाना मसूरी, गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना रकाबगंज</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 11 लाख 01 हजार 240 रूपये नगद**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 27.09.2025 को थाना रकाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त अमित उर्फ गिर्राज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 11 लाख 01 हजार 240 रूपये नगद, चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना रकाबगंज क्षेत्रान्तर्गत चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– अमित उर्फ गिर्राज निवासी ग्राम छान थाना दबोह जनपद भिण्ड म0प्र0।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 11 लाख 01 हजार 240 रूपये नगद।

2–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

3–01 मोबाइल फोन।

जनपद सुलतानपुर/थाना लम्भुआ

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 16 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 27.09.2025 को थाना लम्भुआ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–रोहित 2–तेजबहादुर 3–देवीप्रसाद 4–राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 16 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना लम्भुआ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी शेरपुर पथरा थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

2–तेजबहादुर निवासी शाहगढ कुटिवा थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर।

3–देवीप्रसाद निवासी शाहगढ कुटिवा थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर।

4–राजेन्द्र निवासी शाहगढ कुटियवा थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 16 मोटर साइकिल।

- **जनपद सीतापुऱ/थाना मानपुऱ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुऱ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 25(1–बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित कुमार को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहॉपुर/थाना मदनापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहॉपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहॉपुर द्वारा थाना मदनापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 डी भादवि व 5(छ)/6 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–ओमेन्द्र 2–रामवीर को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————